

अनखान ..... हरमोतिन्द सिंह ..... बनाम ..... गुरदीप सिंह आदि  
 प्रकरण संख्या ..... 73 / 2013 अन्तर्गत धारा ..... 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

26/02/24

कॉपी फॉरवर्ड किया गया श्री 10 मय  
 अन्य कार्य में व्यता है।  
 पत्रावली दिनांक 2/4/24 को पेश हो। *Kumar*

2/3/24

अधिवक्तागण उपस्थित। अप्राची सं. 1 के वारिशात की ओर से वकालतनामा पेश नहीं। अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश करने वकालतनामा दिनांक 07/05/24 को पेश हो।

5/3/24

अधिवक्तागण उपस्थित। अप्राची सं. 1 के वारिशात की ओर से वकालतनामा पेश नहीं। पुनः न्यायिक में अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते वकालतनामा दिनांक 30/05/24 को पेश हो।

30/5/24

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची सं. 1 के वारिशात उपस्थित नहीं। वकालतनामा पेश नहीं। अप्राची सं. 1 के वारिशात को रक-2 कर 3 बार आवान लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची सं. 1 के वारिशात के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्राची अधिवक्ता की बहुरा सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची का प्राची पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थापी विधेक्षा दिनांक 04/06/2013 को मूलवाद के विनियम तक स्थापी किया जाता है। पत्रावली विनियम होकर बम्बूर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

